IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विश्व के आदिवासियों के अधिकार संबंधित संयुक्त राष्ट्र का घोषणा–पत्र

DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

BY

UNITED NATIONS ORGANISATION

कार्य प्रदत्त के लिखित दस्तावेज

अनुच्छेद 1 से 46 तक

डॉ कारलुस टोप्पो

CARLUS TOPPO
Asst. Professor,
Radha Govind University,
Ramgarh, Jharkhand.

The preamble of the **UN Declaration** recognizes the urgent need to **respect** and **promote** the inherent **rights of indigenous people**, that **indigenous people** are **free** and **equal** to all other **people** and have **the right** to be free from discrimination, in particular, discrimination based on their **indigenous** origin or identity.

Draft Declaration on the Rights of Indigenous People, Article 10, 25-28, 30

Concerned that indigenous people have been deprived of their human rights and fundamental freedoms, resulting, inter alia , in their colonization and dispossession of their lands, territories and resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to development in accordance with their own needs and interests,

Recognizing the urgent need to respect and promote the inherent rights and characteristics of indigenous people, especially their rights to their lands, territories and resources, which derive from their political, economic and social structures and from their cultures, spiritual traditions, histories and philosophies,

Convinced that control by indigenous people over developments affecting them and their lands, territories and resources will enable them to maintain and strengthen their institutions, cultures and traditions, and to promote their development in accordance with their aspirations and needs,

Emphasizing the need for demilitarization of the lands and territories of indigenous people, which will contribute to peace, economic and social progress and development, understanding and friendly relations among nations and people of the world,

Article 10

Indigenous people shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.

Article 25

Indigenous people have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual and material relationship with the lands, territories, waters and coastal seas and other resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.

Article 26

Indigenous people have the right to own, develop, control and use the lands and territories, including the total environment of the lands, air, waters, coastal seas, sea-ice, flora and fauna and other resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used. This includes the right to the full recognition of their laws, traditions and customs, land-tenure systems and institutions for the development and management of resources, and the right to effective measures by States to prevent any interference with, alienation of or encroachment upon these rights.

Article 27

Indigenous people have the right to the restitution of the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, occupied, used or damaged without their free and informed consent. Where this is not possible, they have the right to just and fair compensation. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status.

Article 28

Indigenous people have the right to the conservation, restoration and protection of the total environment and the productive capacity of their lands, territories and resources, as well as to assistance for this purpose from States and through international cooperation. Military activities shall not take place in the lands and territories of indigenous peoples, unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned.

States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands and territories of indigenous peoples.

States shall also take effective measures to ensure, as needed, that programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous people, as developed and implemented by the peoples affected by such materials, are duly implemented.

Article 30

Indigenous people have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands, territories and other resources, including the right to require that States obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands, territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources. Pursuant to agreement with the indigenous peoples concerned, just and fair compensation shall be provided for any such activities and measures taken to mitigate adverse environmental, economic, social, cultural or spiritual impact.

विश्व के आदिवासियों का अधिकार

Rights of the Indigenous People of the Whole World

Prof. Carlus Toppo

प्रथम संस्करण : 9वॉ अगस्त 2021

प्रति : 1000 कॉपियां

प्रकाशक : कारलो पब्लिकेशन
उनिडीह
राजा उलातु
पी एस नामकुम
रॉची 834 010
झारखण्ड इंडिया
मेबाइल न : 9693770208 , 7366801073
इमेल :
सर्वाधिकार :
मूल्य :
रचना : आदिवासियों का अधिकार :
एक लिखित दास्तावेज

Translator **: Prof. Carlus Toppo**
(PG: ENG(2), SOCIOLOGY, M.Ed., M.Phil., PHD.)
(Prof. in Private Teacher Teacher Training College D.El.Ed.,B.Ed., M.Ed.)
अनुवादक : प्रो. **कारलुस टोप्पो**

मुद्रक : अन्नापूर्णा प्रेस ऐण्ड प्रोसेस

प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र संघ के लिखित दस्तावेज के द्वारा विश्व की सभी आदिवासियों के लिए संविधानिक एवं सार्वमान्य बराबर का अधिकार प्रदान की गई 'जिनको कोई राष्ट्र नजर अन्दाज नहीं करेंगी. घोषणा पत्र के द्वारा उनके जमीन, भूमि, सम्पत्तियॉं, सांस्कृति, भाषा, रीति–रिवाज, परम्पराएँ, अनुष्ठानों, विरासत, शोधपुस्तक, सहित्य, कार्य–कलापओं पर किन्हीं का अप्रत्याशित अवरोध न हो विस्तारपूर्वक जिक्र किया गया है ा आदिवासियों पर किसी प्रकार का भेदभाव समाज में, शिक्षा में, नौकरियों में पर, पब्लिक स्थलों पर न किया जाए ा आदिवासी लोगों को पीढ़ियों से अन्याय पूर्वक प्रताड़ित, सताये, शोषित एवं बेरहमी से विस्थापित किए हुए लोग हैं एवं सताए हुए लोग हैं ा

विकास के नाम पर उनकी जमीन, भूमि एवं क्षेत्रों को छीनी गई हैं ये संसार के दस्तावेजों में दर्ज है ा बड़े–बड़े कल करखाने, डैम, वृहत्त पार्क, योजनाओं ने उन्हें अत्याधिक शोषण एवं बेरहमी से प्रताड़ित एवं अन्याय किया है ा

अन्तर्राष्ट्रीय संहिता एवं घोषणा पत्र द्वारा इन शोषित आदिवासियों के लिए यह दिन प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को स्मरण किया जाता है ा यह दिन दुनियॉं भर के आदिवासी जनता को अपने अधिकारों के लिए याद करायी जाती है ा यह पर्व उनके अन्गिणत बहुमूल्य योगदानों एवं उपलब्धियों को जिनकों अपने स्थानीय क्षेत्र एवं पूरे विश्व में प्रदान किये हैं – याद की जाती है ा

यह दिवस सर्वप्रथम 1994 दिसम्बर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य सभा में की गई ा आज यह दिन पूरे विश्व के लिए एक आलोचनात्मक दिवस बन कर रह गई है ा यह दिन सभी मानव को याद दिलाती है कि भूतकाल, वर्तमान औार आने वाले भविष्यत काल इन्हीं लोगों ने संजांये कर रखा है जिस सम्पदा पर हम निवास एवं आनंद लेते हैं ा

आदिवासी दिवस पर ये **दस पंक्तियॉं** हमें सदा **याद रखेंगी –**

- **सर्वप्रथम एक सह–समिति की सभा संयुक्त राष्ट्र आदिवासी जनसंख्या 1982 में उनके मानवीय अधिकारों में भागीदारी एवं सुरक्षा की बात कही गई ा**
- **एक बहुमुल्य वस्तु आदिवासियों की है वह है उनकी भाषा एवं संस्कृति जो समाप्त के कगार पर है।**
- **आदिवासियों की भाषा एवं संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक मुददा है जिसमें शिक्षा, तकनीकी, प्रगति, नौकरियॉं आदि हैं ा**
- **बहुत चीजों में आदिवासी लोंगों को दरकिनार एवं मानवीय अधिकारें से वंचित रखा गया है ा**

- 9 अगस्त को यह स्मरण की जाती है कि उनकी शक्तियों की श्राद्धा, लचीलापन, उपर उठने की, प्रतिष्ठा, इमानदारी एवं उनके स्थानीय गौरव को दर्शाती है ।
- सदियों से उनपर अत्याचार, बेरहमियाॅं, अन्याय एवं विस्थापन की गाथा ।
- 2016 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2680 आदिवासी भाषाएॅं इस धरती से विलुप्त होने के कगार पर हैं एवं उनकी जमीनों को छिनी जा रही है ।
- इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उचित उपाय लेकर आदिवासी लोगों के महत्व को दर्शायी है ।
- यूएनईसको एक वैश्विक सामाजिक संचार मिडिया के माध्यम से इस दिवस को बढ़ावा करने की निष्ठा ली ।
- यह प्रेम की गाथा उनके योगदानों एवं उपलब्धियों से पूर्ण है । यह दिन आदिवासियों के लिए शुभकामनाओं एवं अनुग्रहों से भरी/पूरित हो ।

09 August 2021
World Indigenous Day

Prof. Carlus Toppo
Asst. Professor,
Unidih, Toppo Villa,
Raja Ulatu,
Namkum, Ranchi - 834 010.

संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र विश्व के मूलनिवासी आदिवासियों के अधिकार पर

सामान्य व विशिष्ठ सभा

संस्था के ठोस उददेश्यों एवं सिद्धांन्तों का संयुक्त राष्ट्र के कार्य प्रदत्त के लिखित दस्तावेज व संविधान और राज्यों द्वारा लिखित संविधान का सहमति प्रदान करना, जिसका अनिवार्य कर्तव्य बोधों को सुदृढ़ विश्वास में आकांक्षाओं को पूरा करने का उतर–दायित्व है ।

साकारात्मक तौर पर आदिवासी लोग दूसरे लोगों के समान बराबर हैं क्योंकि उनके अधिकार जो अलग हैं, वे अपने आप अलग समझे जाने वाले इन्सान, ये मान्य एवं आदरणीय हैं ।

सकारात्मतः सभी व्यक्ति विविधता का योगदान करता, सभ्यता का धनी/अमीर और सांस्कृति जो मानवता का समान्य विरासत को संगठित करती है ।

अग्रगणित सकारात्मत सभी नैतिक संहिता, मत, सैद्धान्तिक विचार, नीतियॉ और अभ्यास, रिवाजें, प्रथाएँ, उनपर आधारित हैं, उत्तम व्यक्तित्व को प्रसारित करती, प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय उत्पति, वंश, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक असामानताऍं पर आधारित वांशिक, जातिगत, जातिवाद हैं ये वैज्ञानिक तौर पर गलत, कानुनी असत्य, तर्क रहित, अप्रमाणित नैतिक दोषारोपण और सामाजिक घोर अन्याय है ।

निश्चितः आदिवासी लोग, अपने अधिकारों का पालन करने में, किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से स्वतंत्र हैं ।

सर्वमान्य कि विश्व के आदिवासी लोग ऐतेहासिक अन्यायों से सताये गये इन्सान हैं परिणामतः उनको आन्तरिक वेदनाओं, उनके उपनिवेश, उनके जमीन, सम्पतियों को हड़पना, क्षेत्रीय एवं मानवीय संसधानों को छीनना, बेदखल करना एवं वहॉ से उनको बेरहम से निकाल देना । इस प्रकार उनको पालन करने में अवरोध पैदा करना, विशेषतः उनके निजी आवश्यकताओं और रुचियों के अधिकार को विकसित करने में अवरोध बनना ।

स्वीकारयीतः तुरन्त निर्णयाक करवाई सम्मानीय जीवन/कदर का जीवन एवं आदिवासियों के जन्मजात स्वभाविक अधिकारों को पोत्साहित करना, जो उनके राजनीतिक आर्थिर्क एवं समाजिक संरचनाओं, उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, परम्पराओं, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं उनके पैत्रिक, जमीन, सम्पति का हक, क्षेत्रीयता एवं संसधानों की प्राप्ति करते हैं ।

पूर्णतः स्वीकार्य सम्मानीय जीवन के आवश्यकता एवं आदिवासी लोगों के अधिकारों को सकारात्मक प्रोत्साहन संहिता में, संविधान में, सहमति में और राज्यों के निर्मित निर्देशों के व्यवस्था के साथ अमल करना आनिवार्य है ।

वस्तुतः स्वाागत योग्य है कि आदिवासी लोग अपने आप राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बढ़ावा के लिए संचालित कर सकते हैं । सभी प्रकार के भेदभाव की भावना व व्यवस्था को समाप्त करने की मनोभावना रखकर एवं सभी असहनीय अत्याचारों, दमनों को समाप्त करन, जहॉ कही ऐसे चीजें होती हैं ।

विकास के कार्य जो आदिवासी लोगों को नकारात्मक रुप में प्रभावित कर रही है उन पर नियन्त्रण लाना अपने जमीन–जयदाद क्षेत्रीय एवं संशोधन उन्हें कायम रखने का समुचित अधिकार देता है उनके संस्थाओं, सांस्कृतियों, परम्पराओं को मजबूती प्रदान करना, उनके विकास में उनके अकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रदान करता है ।

स्वीकारतयः आदिवासी ज्ञान, सास्कृति एवं परम्पराओं की आदतों को सम्मान देना जो अस्तित्व बनाये रखने में और उचित विकास पर, वातावरण का उचित व्यवस्था बनाये रखने में मदद करते हैं ।

दबावपूर्णतः आदिवासी लागों के जमीनों, सम्पतियों और क्षेत्रों पर समझौते द्वारा, सेनाओं को हटाए जाने की बात कही है जो शांति, आर्थिक और सामाजिक प्रगति, विकास, समझदारी मैत्रीपूर्ण संबंध राष्ट्रों के बीच और विश्व के लोगों के साथ सहयोग की भावना देती है ।

असली पहचान के तौर पर आदिवासी परिवारों के अधिकार एवं समुदायों को संगठित कर सहभागी उतरदायित्व प्रदान करना उनके उत्थान, प्रशिक्षण, शिक्षा, उनके बच्चों का उत्तम परवरिश, एवं बच्चों के अधिकारों के साथ व्यापकता की नीयत स्थापित करती है ।

औपचारिक संधि–पत्रों, सहमतियों एवं संगठनरत्मक व्यवस्थाओं में स्वीकार्य अधिकार जो राज्यों और आदिवासी लोगों के बीच, कुछ अवस्थाओं पर, चीजों पर, अन्तरराष्ट्रीय चिन्ताओं, रुचियों, उतरदायित्व एवं चरित्र पर हैं अधिकार देती है ।

आदिवासी लोग मुख्यतः संधि–पत्रों, सहमतियों, अन्य संगठनात्मक व्यवस्थाऍ और संबंधों को प्रचारित करते हैं ये आधार हैं मजबूत भागीदारी, हिस्सेदारी राज्य और आदिवासी लोगों के बीच में ।

ज्ञानतः जो संयुक्त राष्ट्रों का घोषणा–पत्र अन्तरराष्ट्रीय संहिता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय संहिता सिविल और राजनीतिक अधिकारों, वियेन्ना के घोषणा पत्र एवं योजना का कार्य सभी लोगों का स्वतः सुदृढ़ीकरण के अधिकार का मूल प्रसिद्धी को स्वीकार्य करना, जिसके द्वारा वे स्वछन्द राजनीतिक प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता पूर्वक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को निर्णय दे सकें ।

इन सभी विषयों और धारणाओं को मन में रखते/लेते हुए घोषणा पत्र के सभी कारकों को कोई भी नकार नहीं सकता जो आदिवासी लोगों के स्वतः निर्णय, अनुरुपता का व्यवहार, अन्तरराष्ट्रीय नियम के तहत बनायी गयी है ।

घोषणा पत्र में आदिवासी लोगों के अधिकारों के परिचार्थ शांति प्रियता और सहभागी संबंधता राज्य और इन लोगों के बीच में सुसुप्तता लाएगी, यही न्याय के सिद्धान्त, प्रजातांत्रिक, आदर, मानवीय अधिकारों के लिए, नॉन भेदभाव और उत्तम विश्नीयता का भाव देगी ।

राज्य उन को प्रोत्साहन करते हुए एक निष्ठा का भाव एवं प्रभावनर्ण अमलता/कार्यान्विता के साथ उनके सभी अनिवार्य आवश्यकता को पूरित करते अंतर राष्ट्रीय संस्थाओं में मानवीय अधिकारों से संबंधित, परामर्श में और सहभागिता उन लोगों में साथ स्थापित कर प्रदान की जाए ।

आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा, प्रगति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र एक उत्तम/ अच्छा और व्यापक भुमिका अदा करती है ।

विश्वसनीयता कि यह घोषणा पत्र एक अच्छा कदम, पहचान, पदोन्नति एवं अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी लोगों के स्वतंत्रता, प्रमुख कार्यों के विकास में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था इस क्षेत्र में दे रही है ।

आदिवासी लोग सभी मानवीय अधिकारों से लैस होकर, अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा सभी भेदभावों से मुक्त करती है । वे सामूहिक अधिकार अर्जित करते हैं जो उनके जीवन के लिए अपरिहार्य कल्याणकारी और एकीकृत विकास जो मानवीय है, करती है ।

आदिवासी लोगों की अवस्थाएँ अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग देशों में भिन्न हो सकते हैं, राष्ट्रीय पराकाष्ठाएँ एवं क्षेत्रीय विशिष्टा, विभिन्न ऐतेहासिक, सांस्कृतिक स्तर, परिस्थितियॉं विचार योग्य कारण हो सकती हैं ।

हर्ष पूर्वक घोषणा करते हैं कि –

संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र आदिवासी लोगों के अधिकारों के पहचान की महती धारा के प्रयास और निपुणता से की गई एक हिस्सेदारी और आपसी आदर का प्रमाण के रुप में एक उपलब्धि का मानक बन गया है ––

आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1

आदिवासी लोगों का पूर्ण/पूरा आनन्द का जीवन जीने का लिखित अधिकार पत्र चार्टर, लिखित दस्तावेज, संविधान में अधिकार है सामूहिक तौर एवं व्यक्तिगत तौर पर सभी मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रता जैसा कि संयुक्तराष्ट्र का लिखित दस्तावेज दर्शाती है, मानवीय अधिकारों का सार्वभैमिक घोषणा पत्र एवं अन्तरराष्ट्रीय

मानवीय अधिकार कानून के रुप प्रदत करती है ा

आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2

आदिवासी लोग एवं प्रत्येक व्यक्ति दूसरों जैसे स्वतंत्र, आजाद, मुक्त और सामान, बराबर स्तर के मनुष्य इन्सान हैं ा वे सभी प्रकार के भेदभावों से आजाद हैं ा अपने अधिकारों के पालन करने में विशेष तौर यह उनके आदिवासी उत्पत्ति व प्रतिष्ठां एवं मार्यादा पर आधारित है ा

आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3

आदिवासी लोगों का स्वतः संकल्प व दृढ़ निश्चय करने का अपना अधिकार है ा उस अधिकार के बदौलत वे स्वतंव्रता पूर्वक राजनीतिक स्तर का निर्णय और स्वतंत्र पूर्वक जारी रखकर अपने आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास निश्चित कर सकते हैं ा

आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4

आदिवासी लोग स्वतः संकल्प के अधिकार को पालन करते हुए, अपने आन्तरिक और स्थानीय निजी काय–कलाप से संबंधित स्वशासन, स्वायत्तता व स्वयं प्रशासन तंत्र का अधिकार है ा

आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5

आदिवासी लोगों का अपना जीवन निर्वाह एवं मजबूती प्रदान करने के लिए अपने विशिष्ट राजनैतिक, कानूनन, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का कायम रखते हुए नियमित अपने अधिकारों में पूर्ण सहभागी होकर यदि राज्य के राजनीतिक में आर्थिक अवस्था में सामाजिक रुप में और सांस्कृतिक जीवन में उनका अपना अधिकार है ा

आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6

प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को नागरिकता, राष्ट्रीयता का अधिकार है ा

आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7

1. आदिवासी व्यक्तियों को जीवन का शारीरिक, बौद्धिक, एकता, निष्ठा, स्वच्छंदता एवं व्सक्ति के सुरक्षा का आधिकार है ा
2. एक अनोखा/नेक व्यक्तियों के रूप में आदिवासी लोगों को स्वच्छंदता का जीवन, शांति प्रिय एवं सुरक्षामय, सामूदायिक जीवन जीने का अधिकार है ा वे किन्हीं जाति संहार के द्वारा किन्हीं के व दबाव में गैर अधीन व हावी में नहीं किये जा सकते उनके संप्रदाय के कार्यों एवं बच्चों को मुख्य समूह, दल ग्रुप से

` जबरजस्ती निकाल कर दूसरे दल में रखे नहीं जा सकते ।

आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8

1. आदिवासी लोगों एवं उन व्यक्तियों को दबाव में डालकर अन्य सामाजिक वर्ग के विचारों में सम्मिलित एवं उनके सांस्कति का विनाश नहीं किया जाने का अधिकार है ।

2. राज्य उनके सुरक्षा के लिए प्रभावपूर्ण तंत्र प्रदान करेगा और क्षतिपूर्ति/अपराध के लिए ——

ए. कोई भी कार्य/कर्म जो उनकी एकता को निजी उददेश्यों व प्रभावों को वंचित करता है जैसा कि वे एक अलग लोक व समूह है उनके सांकृतिक मान्यताओं का व जातीय पहचान से वंचित करता है ।

बी. कोई क्रिया जिसके द्वारा उनके जमीन, संम्पतियों, क्षेत्रीयता एवं संसाधनों से विस्थापित करने का उददेश्य व इच्छा छिपा हो ।

सी. किसी भी प्रकार के दबावपूर्ण जनख्या को परिवर्तित करना जिनका उल्लंघन का उददेश्य व प्रभाव व उनके अधिकारों को दुर्बल, क्षीण और खोखला करना ।

डी. किसी भी प्रकार की दबावपूर्ण सामाजिक वर्ग के विचारों में सम्मिलित एवं एकीकृत करना ।

ई. किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की रूपरेखा में समर्थन, भड़काउ, जाति गत व जातीय भेदभाव उनके विरूद्ध संचालित किया जाना ।

आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9

आदिवासी लोग एवं उन व्यक्तियों का उचित स्थान व निवासी, आदिवासी, समुदाय व राष्ट्र होने का अधिकार है जैसे उनके समुदाय व राष्ट्र केन्द्रित, रीति–रिवाज एवं परम्पराएँ शामिल हैं । किसी प्रकार का भेदभाव उस अधिकार को पालन करने में नहीं खड़ा हो सकता है ।

आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10

आदिवासी लोगों को उनके जमीनों सम्पतियों व क्षेत्रों से दबाव पूर्वक खदेड़े नहीं जाने होगें । उनका दुबारा स्थानतरित कदापि नहीं होना होगा, उनके स्वच्छंद, पूर्व समय एवं सूचित सहमति व अनुमति प्राप्त कर उसके बद, न्याय पर सहमति एवं उचित सम्मान जनक हर्जाना व क्षतिपूर्ति एवं जहॉ सम्भव हो, वापसी, रिटर्न के विकल्प के साथ होना होगा ।

आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11

1. आदिवासी लोगों का अभ्यास करने का अधिकार है और अपने सांस्कृतिक, रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं को तीव्र शक्ति प्रदान करने का अधिकार है ।

इसके अन्तर्गत कायम व बनाये रखने का अधिकार उनके सांस्कतियों का सुरक्षा एवं भूत, वर्तमान, भविष्य का सुस्पष्टता, प्रत्यक्षता का विकास जैसा कि पुरातत्व, ऐतेहासिक स्थानों, आर्टिफैटस हस्तकलाओं, प्रतिमानों, रूपरेखाओं, अनुष्ठानों, तकनीकी, कला–कार्य एवं साहित्यों के विकास का अधिकार है ।

2. प्रभावपूर्ण यंत्रों, तंत्रों द्वारा राज्य क्षति–पूर्ति प्रदान करेगी जो वस्तु की मुआवजा के अन्तर्गत हैं आदिवासी लोगों के साथ संयुक्त होने की स्थिति में विकास किया जाना उनके सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक सम्पति सम्मिलित हैं । उनके बिना स्वच्छंदता, पूर्व , सूचित सहमति, उनके नियमों–कानूनों का उल्लंघन, रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं का उल्लंघन शामिल है ।

आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12

1. आदिवासी लोगों का स्पष्टता का, प्रत्यक्षता का, अभ्यास, तौर–तरीका का, विकास का, अधिकार है एवं आध्यात्मिक, धार्मिक रीति–रिवाज, परम्पराएँ, अनुष्ठान, उन्हें पढ़ाने का अधिकार है, अमल करने व कायम करने का अधिकार, सुरक्षा एवं उनके धार्मिक व सांस्कति स्थानों पर बाहरी हस्तक्षेप्त न होने का अधिकार है, प्रयोग का अधिकार, उनके अनुष्ठानों के वस्तुओं का नियन्त्रण और उनके मानवीय अवशेषों को उनके देश वापस भेजने व लौटाने का अधिकार है, **रिपाट्रीयट** किसी को उसके देश भेजना व लौटाना ।

2. राज्य एक मार्ग, रास्ता खोजने का प्रयास करेगा व अनुष्ठानिक वस्तुओं, चीजों को उनके देश वापस करने व लौटाने का मानवीय अवशेषों को अपने संरक्षण में रखकर न्याय संगत, साफ–सुथरा, पारदर्शी एवं प्रभावित तकनीकियों का विकास संयुक्तता में आदिवासी लोगों के साथ होगी ।

आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13

1. आदिवासी लोगों का अधिकार है वह अपने पुनर्शक्ति के साथ प्रयोग, व्यवहार, विकास और भविष्यत पीढ़ी को उनके इतिहास, भाषा, मौखिक परम्पराएँ, दर्शनशास्त्र, लिखित व्यवस्था, साहित्य, प्रसारित व एक से दूसरे को देने का प्रवावधान करने का निर्दिष्ट स्पष्ट करनें का, निर्दिष्ट स्पष्ट करने का एवं

अपने नामों को समुदायों, स्थानों और व्यक्तियों के लिए अमल में कायम किया जाए, अधिकार है ।

2. राज्य प्रभावित उपाय देने के लिए निश्चित कर लेगी कि अधिकार सुरक्षित है एवं निश्चित तौर पर आदिवासी लोग समझ सकते हैं और यह राजनीति में, कानून में, प्रशासन में समझी जाए, जहॉ कहीं जरूरत पड़े, व्याख्या का प्रावधान के साथ व दूसरे उपयुक्त साधनों द्वारा ली जाए ।

आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14

1. आदिवासी लोगों की अपनी शिक्षण व्यवस्थाऍ एवं संस्थाऍ स्थापित, नियन्त्रण कर अपनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने, उनके सांस्कृतिक विधियों द्वारा, शिक्षण एवं अधिगम **लर्निन्ग** उपयुक्त कार्य किये जाने का ढंग शामिल है ।

2. आदिवासी बच्चों का राज्य के शिक्षा के सभी स्तरों एवं प्रकारों में बिना भेदभाव से प्राप्त करने का अधिकार है ।

3. राज्य आदिवासी लोगों के साथ संयुक्त रूप में प्रभावित उपाय, साधन, आदिवासी व्यक्तियों के लिए मुख्यतः बच्चों के लिए जो अपने समुदायों से बाहर समुदाय के अनर्गत रहते हों, जब सम्भावतः एक प्रवेश मार्ग के रुप शिक्षा उनके अपनी सांस्कृति में और अपनी ही खुद की भाषा में प्रदान की जाएगी.

आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15

1. आदिवासी लोगों का अपनी मार्यादा एवं प्रतिष्ठा का अधिकार है, उनके सांस्कृतियां, परम्पराओं, रिवाजों, इतिहासों और आकान्क्षाओं में विभिन्नता के साथ उपयुक्त तौर पर, शिक्षा और पब्लिक सूचना में दर्पित, प्रतिबिंब की जाएगी ।

2. राज्य, उपर्युक्त असरदार, प्रभावित उपाय, साधन लेगी, आदिवासी लोगों के साथ सहमति और सहयोग में ध्यान रखते, पक्षपात पर संघर्ष, भेदभाव को उखाड़ फेंकना, सहानुभूति को प्रसारित करना, समझदारी और अच्छा, उत्तम संबंध आदिवासी लोगों के बीच बनाना और समाज के सभी खण्डों/हिस्सों के साथ लेनी होगी ।

आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16

1. आदिवासी लोग अपनी खुद की मातृभाषा में, अपनी मीडिया संचार माध्यम स्थापित करनें का अधिकार हैं एवं बिना भेदभाव के सभी प्रकार के गैर आदिवासी संचार माध्यम का भी मार्ग खुला है ।

2. राज्य, असरदार उपाय, साधन निश्चित करने के लिए लेगी कि राज्य स्थापित संचार माध्यम, उचित रीति से आदिवासी सांस्कतिक, विविधता को प्रकाशित करेगी । राज्य बिना पक्षपात के पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से अपने विचारों भावों को पालन व प्रकट करेगी । और राज्य में व्यक्तिगत अपनायी मीडिया संचार को उपयुक्त व समुचित्र रूप से आदिवासी सांस्कतिक विविधता को प्रकाशित करने में प्रोत्साहित करेगी ।

आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17

1. आदिवासी व्यक्तियों एवं लोगों का सभी अधिकारों पर जो अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू अपने देश का है, श्रम कानून के उचित, उपर्युक्त माध्यम से, स्थापित की गई हैं उन पर उनका पूरा लाभ उठा सकेंगे और उनका स्वामित्व एवं उपयोग करेंगे ।

2. राज्य आदिवासी लोगों के सहमति एवं सहभागी के साथ विशिष्ट व उपयुक्त उपाय, आदिवासी बच्चों के सुरक्षा के लिए दी गई है । उनका आर्थिक शोषण अनुचित लाभ ना हो और कोई भी निर्देशित कार्य से, जो उनके लिए जोखिम भरा खतरा हो व उन बच्चों के शिक्षा के साथ हस्तक्षेप व बाधा व छेड़–छाड़ हो व बच्चे के स्वाथ्य शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, तौर पर हानिकारक, नुकसान ना हो व उनके विशेष अनोचित, असुरक्षित, घायल ना किया जा सके उन पर सामाजिक अन्याय व विकास ना की जाए और उनके शिक्षा के महत्व द्वारा उन्हें विशेष सशक्तिकरण का अधिकार एमपावरमेन्ट प्राप्त है ।

3. आदिवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की भेद भाव पूर्ण शर्तों श्रम पर अन्तरिम **अलिया** कार्य के प्रति रूचि पर, नौकरी पर, वेतन पर, न होने का उनका अधिकार है, उनको अपने अधीन नहीं करना है, नहीं किया जा सकता है ।

आर्टिकन 18 अनुच्छेद 18

आदिवासी लोगों का निर्णय, निर्माण करने में सहभागिता का अधिकार है जिसमें उनके अधिकारों को प्रभावित करती है, अपने सहमति के ,द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव अपने रीति से कर सकते हैं एवं अपने कार्यों की निश्चितता तथा उनके खुद का आदिवासी निर्णय, निर्माण की संस्थाएँ चुन सकते हैं उनका अधिकार है ।

आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19

राज्य, आदिवासी लोगों के साथ ठोस विश्वास में लेकर सहमति एवं सहभागिता द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के संस्थाओं द्वारा, उनकी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता प्राप्त करने की व्यवस्था, पूर्व सहमति, सूचित मान्यताएँ, किसी विधि को अपनाने व अंगीकृत और अमल में कार्यान्वित विधायी व कानून प्रशासनिक उपायों, साधनों को लागू करने के पहले उनकी सहमति अत्यन्त जरूरी है, जो उनके जीवन को प्रभाव कर सकती है ।

आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20

1. आदिवासी लोगों का अधिकार है, कि वे अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं को कायम रखने एवं विकास करने का अधिकार है, उनके साधनों द्वारा जीविका निर्वाहन और प्रगति, उत्थान कर आनन्दमय जीवन में सुरक्षित रह सकें एवं स्वछंदता पूर्वक सभी परम्पराओं एवं अन्य आर्थिक कार्यों में शामिल रह सकते हैं ।

2. आदिवासी लोगों के जीविका निर्वाह के साधनों, उपायों और विकास से वंचित किये हुए लोगों का न्यायसंगत एवं उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार है ।

आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21

1. आदिवासी लोगों का बिना भेदभाव, उनके प्रगति के लिए आर्थिक, सामाजिक शर्तें, इसके अन्तर्गत आन्तरिक कार्यों को करने में रूचियाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी योग्य पेशा प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण, भवन, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है ।

2. राज्य, कारगर/असरदार उपायों व साधनों को लेगा जो उपयुक्त, विशेष उपाय, साधनों का प्रतिपालन लगातार उत्थान के लिए उनके आर्थिक एवं सामाजिक शर्तों के लिए किया गया है । मुख्य ध्यान उनके अधिकारों के लिए होगा एवं आदिवासी वृद्धों के विशेष आवश्यकताएँ, महिलाएँ, युवाएँ, बच्चे एवं शारीरिक असमर्थता वाले व्यक्तियों के लिए होगा ।

आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22

1. विशेष ध्यान एवं सावधानी उनके अधिकार के लिए दी जाएगी एवं आदिवासी बुजर्गों, महिलरओं, युवाओं, बच्चों के विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एवं विकलांग व्यक्तियों के साथ इस घोषणा पत्र को अमल व प्रयोग में लाया जाएगा ा

2. राज्य, आदिवासी लोगों के साथ संयुक्त रूप में कार्यान्वित करने के उपाय लेगा जो कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों का पूर्ण सुरक्षा का महौल एवं गैरन्टी हो, सभी प्रकार के हिंसा से बचने के लिए एवं भेदभावों के विरोध में आश्वासन एवं जिम्मेदारी उठाएगा ा

आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23

आदिवासी लोगों का निश्चितता का, विकास की प्राथमिकताओं का एवं उनके अधिकार के विकास के प्रयोग में विशेष उददेश्य के योजनाओं के लिए अधिकार है ा मुख्य तौर से, आदिवासी लोगों का विकास में सक्रिय सहभागीदारी होने का अधिकार है, एवं स्वस्थ निश्चित करने में भवन व अन्य आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं में जो उन्हें प्रभावित करता हो और सम्भावतः प्रबंध संचालित करने में जितने योजनाएॅ उनके अपने संस्थाओं द्वारा लायी गई हो, अधिकार है ा

आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24

1. आदिवासी लोगों का, उनके परम्परागत औषधियों पर, अधिकार है उनके स्वस्थ्य प्रयोग में कायम में के लिए, इसके अन्तर्गत उनके वृहत चिकित्सा—शास्त्र, पौधों, पशुओं एवं द्रव्यों व धातुओं की संरक्षणा करने का अधिकार है ा आदिवासी लोगों का और भी अधिकार है, कि बिना भेदभाव के सभी सामाजिक एवं स्वास्थ्य—सेवाओं में मार्ग गठित करें ा

2. आदिवासी लोगों के बराबरी का व समानता का अधिकार है कि वह उच्च कोटि का मानक शारीरिक व मानसिक स्वस्थ्य का आनन्द लेने का अधिकार है ा राज्य उचित कदम, इस अधिकार के सिद्धि के लिए लेगी जिसको प्राप्त करने में प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर होकर उनकी भावनाओं के साथ विचार करेगी ा

आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25

आदिवासी लोगों का अपना व्यवस्था को बरकरार रखने का अधिकार है, उनके अलग अध्यात्मिक संबंध अपने परम्पराओं द्वारा, स्थापित की गई है, उनके व्यवहार हुए जमीन, सम्पतियाॅ, भूमि, क्षेत्रों, जल, समुद्री—तट एवं अन्य संसधानों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाये रखने का उनके उतरदायित्वों का अनुमोदन समर्थन करता है ा

आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26

1. आदिवासी लोगों का अपने जमीन, भूमि, क्षेत्रों एवं संसांधनों का अधिकार है जहॉं वे परम्परागत तौर पर प्राप्त हासिल किये हैं, स्थापित व निवास व कब्जे में है इसके अलावा उपयोग किया हुआ व अर्जित किया गया हों उनका अधिकार है ।

2. आदिवासी लोगों का जमीन, सम्पतियों को अपने कब्जे में लेने का, व्यवहार करने का, विकास करने का, और नियन्त्रण करने का, भूमि, क्षेत्रों का और संसाधनों का जिसको वह तर्क संगत रूप से परम्रागत वैधता द्वारा वे स्वामित्व प्राप्त किये हैं, व अन्य परम्परागत जीविका व प्रयोग की वस्तु जो वे प्राप्त व अर्जित, इसके अलावा किये हैं ।

3. राज्य उनके लिए कानूनन प्रावधान, मान्यता एवं सुरक्षा, उन जमीनों, सम्पतियों, क्षेत्रों और संसाधनों को देगी । वही मान्यता आदिवासी लोगों के प्रथा, प्रचलित रिवाज, परम्पराऍं, जमीन, भूमि को प्रयोग में लाने की कानूनी अवधि, व्यवस्था को परिचालित व संचालित एवं नियन्त्रण करेगी ।

आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27

राज्य, आदिवासी लोगों के साथ संयुक्त रूप में एक न्याय संगत, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात रहित, खुला एवं पारदर्शी प्रक्रिया, उनके वास्ताविकता मान्यता, उनके कानूनों, परम्पराओं, रीति रिवाजों, एवं भूमि को प्रयोग में लाने की कानूनी अवधि व्यवस्था, आदिवासी लोगों के अधिकारों का मान्यता एवं फैसला सुनाने का उनके भूमि, जमीन, क्षेत्रों एवं संसांधनों से संबंधित जुड़ा हुआ है । इसके अन्तर्गत जो परम्परागत निवासी व स्थापित व प्रयोग किया गया हो । इस प्रक्रिया में आदिवासी लोगों का सहभागी होने का अधिकार मान्यता प्राप्त है ।

आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28

1. आदिवासी लोगों का **क्षतिपूर्ति** लेने का आधिकार है निश्चय ही यह मुआवजा को सम्मिलित करती है जब यह सम्भव नहीं है, न्याय का, निष्पक्षता का, बराबर मुआवजा की, भूमि के लिए क्षेत्रों और संसाधनों का जिसके वे परम्परागत रूप से प्राप्त किये, व उसके अलावा स्वामित्व प्राप्त किये, व प्रयोग व्यवहार किये एवं उनके बिना स्वतंत्रता, पूर्व व सूचित सहमति, द्वारा कब्जा हुआ स्वामित्व लिया गया, प्रयोग हुआ, तहस नहस हुआ हो, मुआवजा का अधिकार है ।

2. इसके अलावा जब तक स्वच्छंदता पूर्वक सहमति न हो, प्रमुख लोगों द्वारा मुआवजा भूमि, जमीन का

आकार लेगा, क्षेत्रों संसांधनों का, समानता में बराबरी, आकार एवं कानूनी प्रतिष्ठा व आर्थिक मुआवजा का व अन्य उपयुक्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान है ।

आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29

1. आदिवासी लोगों का वातावरण एवं भूमि, क्षेत्रों एवं संसाधनों की उत्पादक शक्ति की संरक्षणा और सुरक्षा प्रदानकरने का अधिकार है ।

   राज्य, बिना भेदभाव से आदिवसासी लोगों के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा, राज्य योजनाओं के सहयोग से स्थापित एवं अमल में लाएगी ।

2. राज्य में, उचित व असरदार उपाय लागु की जाएगी कि विस्फोटक चीजों का गोदाम न हो, आदिवासी लोगों के उनके स्वच्छंदता पूर्व एवं सूचित सहमति बिना, भूमियो में, व क्षेत्रों में न रखा जाएगा ।
3. राज्य, इसको लागू करने में उपयुक्त उपाय लेगी, जहॉ जरूरत पड़ेगी, आदिवासी लोगों के योजनाओं के लिए निरीक्षण, व्सवस्थित एवं स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान रखेगी, जिन चीजों का विकास एवं अमल व कार्यान्वित किया गया है उससे प्रभावित हैं, जिनका अमल हुआ है ।

आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30

1. आदिवासी लोगों के जमीनों, भूमियों व उनके क्षेत्रों में मिलिट्री गति विधियों व कार्य के लिए जगह नहीं लेगी, बसरते प्रभावित पब्लिक रूचि द्वारा, स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो व सम्मानित आदिवासी लोगों द्वारा की गई हो । इसके अलावा, स्वच्छंदता पूर्वक सहमति के साथ आवेदन व अग्राह किया गया हो । भार ग्रहण किया गया हो, बीड़ा उठाया गया हो ।

2. सम्मानित आदिवासी लोगों के साथ, राज्य को उपयुक्त परामर्श का बीड़ा व भार ग्रहण करना होगा, उपयुक्त कार्य–पद्धति व प्रक्रिया द्वारा, विशेषतः उनके प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा, पूर्व सूचित सहमति लेकर, उनके भूमियां, क्षेत्रों को व्यवहार करने के बावत में मिलिट्री गति–विधियों के लिए लिया गया हो ।

आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31

1. आदिवासी लोगों को व्यवस्थित करने का नियन्त्रण करने का, सुरक्षा पाने का, विकास करने का, उनका सांस्कृतिक विरासत, परम्परागत ज्ञान और सांस्कृतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है ।

उसके साथ उनकी वैज्ञानिकता, तकनीकी विधियाॅ, एवं सांस्कृतियाॅ, मानवीय वैज्ञानिक संसाधनाें, बीज, औषधियॉ, किसी काल विशेष के सम्पतियों का ज्ञान, सभी पेड़–पौधे, मौखिक परम्पराएॅ, साहित्य, प्रतिमान, क्रीड़ा, परम्परागत खेल, प्रत्यक्ष एवं कार्यान्वित कलाएॅ सम्मिलित हैं I उनको यह भी अधिकार है कि उनका स्वामित्व, नियन्त्रण, सुरक्षा, विकास, उनका बौद्धिक ज्ञान अपने सांस्कृतिक, विरासत का परम्पारिक ज्ञान, और सांस्कतिक विचार की व्यपक्तता का अधिकार है I

2. आदिवासी लोगों के साथ संयुक्त रूप में, राज्य उचित व प्रभावित उपाय उनके दिये अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा प्रयोग करने के लिए लिया जाएगा I

आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32

1. आदिवासी लोगों का अपनी निश्चितता, विकास प्राथमिकताएॅ एवं विभिन्न योजनाएॅ, विकास के लिए उनके भूमि व क्षेत्रों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है I

2. राज्य, सम्भावित आदिवासी लोगों के साथ अच्छे विश्वास में लेकर सहमति और सहभागिता करेगा I उनके अपने प्रतिनिधि संस्थाएॅ प्राप्त कराने में उनकी स्वच्छंदता, सूचित सहमति, योजना के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, उनके भूमि व क्षेत्रों एवं अन्य संसाधनों का विशेषतः विकास के साथ संबंधित उपयोगिता, पदार्थों का उपयोग, झरनों एवं अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए उनकी सहमति जरूरी होगी I

3. राज्य, न्याय संगत एवं निष्पक्ष, क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी गति–विधियों के लिए उचित तकनीकी प्रदान करेगा I उपयुक्त उपाय भी कष्ट को कम करने में ली जाएगी कि प्रतिकूल वातावरण, हानिप्रद, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कतिक व आध्यात्मिक प्रभाव को नष्ट न की जाएगी I

आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33

1. आदिवासी लोग अपनी पहचान और सदस्यता निश्चित करने की अपने रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं के साथ करने का अधिकार है I यह आदिवासी व्यक्तियों के राज्य की नागरिकता को प्राप्त करने के अधिकार से वंचित व नष्ट नहीं करता, जहॉ कहीं वे रहते हैं I

2. आदिवासी लोग अपनी संरचना, ढॉचा को निश्चित करने का एवं उनके संस्थाओं की सदस्यता में

चुनाव करने का, उनके अपने ही तरीका के साथ करने का अधिकार है ।

आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34

आदिवासी लोगों के पास बढ़ावा व प्रोत्साहन देने का, विकास करने का और उनकी संस्थागत ढॉचा व्यवस्थित करने का अपना अधिकार है । उनकी अलग रीति–रिवाजें, आध्यातिमिक्ता, परम्पराऍं, कार्य–पद्धतियॉं, प्रयोग होती हैं जहॉं कहीं वे निवास करते हैं, कानूनी व्यवस्था एवं रिवाज–रीतियॉं, अन्तरराष्ट्रीय मानवीय अधिकारों के मानकों के साथ उपयोग होगी ।

आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35

आदिवासी लोगों का अधिकार है कि वे अपने व्यक्तियों के उतरदायित्व को निश्चित, अपने समूहों के लिए की जाए ।

आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36

1. आदिवासी लोगों का अधिकार है कि उनकी जीवन व्यवस्था, विकास संबंधित सहभागिता, आध्यात्मिक कार्य शैलियॉं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामातिक उददेश्यों की पूर्ति, उनके अपने सदस्यों के साथ, अन्य लोग जो देशों के सीमा पर हैं, विशेषतः वे जो अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभक्त हैं, उनसे सहयोग बनाए और विकास के लिए सम्पर्क रख सकते हैं, उनका अधिकार है ।

2. राज्य, आदिवासी लोगों के साथ सम्पर्क और सहभगिता में सरल व सुसाध्य व्यवहार कर और इस अधिकार को अमल में रखकर, राज्य उपयुक्त, प्रभावशाली उपायों, व साधनों को लाएगी ।

आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37

1. **आ**दिवासी लोगों का अधिकार हैं कि वे शोधात्मक पुस्तक की मान्यता, प्रेक्षण व सावधानी से देखने की क्रिया को प्रभावी कानून बना सकते हैं । सहमतियों व अन्य रचनात्मक सहमतियों, राज्य के साथ पास व उनके उतराधिकारियों के साथ, समर्पित किया जाना और उस शोध पुस्तकों, सहमतियों और अन्य रचनात्मक सहमतियों का राज्य द्वारा मान्यता, प्रतिष्ठा, एवं श्राद्धा के साथ गौरवान्वित की गई है ।

2. इस घोषणा पत्र में कुछ भी अनावश्यक व्याख्या/मतलब नहीं लायी जा सकती है, जो उसकी महत्व को कम करे व अवांछित रूप से हटा दे, जो आदिवासी लोगों के अधिकारों के शोधात्मक पुस्तकों,

सहमतियों और रचनात्मक समझौताओं/अनुबंधों में समाहित है ।

आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38

राज्य, आदिवासी लोगों के साथ परामर्श एवं सहयोग में उपयुक्त उपाय/तरीका लेगी, जो कानूनी उपाय व तरीका हो जिससे घोषणा पत्र के उददेश्यों की प्राप्ति हो ।

आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39

आदिवासी लोग राज्य से आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के मार्ग/रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है, अन्तरराष्ट्रीय सहभागिता द्वारा वे घोषणा पत्र में जितने अधिकार प्राप्त हैं, उन पर आनन्द पूर्वक स्वामित्व हासिल है ।

आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40

आदिवासी लोगों का अधिकार है कि उनके लिए रास्ता है, जब राज्य व अन्य पार्टियों के साथ गंभीर मतभेद व विरोध, किसी परामर्श के लिए हो, तो तुरन्त न्याय संगत एवं निष्पक्ष निर्णय के द्वारा, उपाय व सुझाव दी जाएगी, उसी के साथ प्रभावपूर्ण निराकरण व निदान कर उनके व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों के हनन व अतिक्रभण को रोका जा सके ।

उस प्रकार का निर्णय यही आभास देगा कि उनके रीति/रिवाज, परम्पराएँ, नियम, कानूनी व्यवस्था, जो आदिवासी लोगों के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के स्तर पर बनायी गई है, सराहनीय एवं वैध है ।

आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41

संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की संगठन एवं विशिष्ट एजेंसियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनें, घोषणा पत्र के प्रवाधानों की पूर्ण सिद्धि व अनुभूति के साथ, यथार्थ में योगदान देगी । यह क्रिया उददेश्यों को परिचालन, आन्तरिक कार्य रूचि, आर्थिक सहभागिता एवं तकनीकी सहयोग द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

प्रमुख मुददों पर जो आदिवासी लोगों के सहभागिता को विभिन्न मार्गों एवं साधनों द्वारा प्रभाविक किये जा रह हैं, स्थापित की जाएगी ।

आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42

संयुक्त राष्ट्र इसके समूह, दल व स्थायी सभा, आदिवासी मुददों पर एवं विशिष्ट एजेंसियाँ, जो देश के स्तर में एवं राज्य स्तर में मान्यता को आगे बढ़ाएगी एवं घोषणा पत्र के प्रावधानों के पूरे निवेदनों को प्रभावपूर्ण

तरीके से इस घोषणा का अनुसरण करेगी ।

आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43

अधिकार, जो दुनियॉ के सभी आदिवासी लोगों के अस्तित्व, पहचान, अस्मिता एवं उत्थान के लिए एक न्यूनतम मानक के रूप में मान्यता रचित है ।

आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44

सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रता जो मान्य हैं वे समान तौर पर आदिवासी पुरूषों एवं महिलाओं पर लागू हैं ।

आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45

इस घोषणा पत्र से कुछ भी व्याख्या, अर्थ नहीं निकाली जाएगी, जो आदिवासी लोगों को अधिकार अभी तक मिली है व भविष्य में प्राप्त की जाएगी, उसे उन्हें उनकी महत्व घट न जाए व लुप्त न हो जाए ।

आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46

1. कुछ भी इस घोषणा पत्र से अर्थ नहीं निकाली जा सकती है कि जो राज्य के व्यक्ति, यमूह व कोई भी अधिकार किसी के लिए बन्दोबस्त कर कोई कार्य व जो कर्म संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, दस्तावेज के विरोध किया जाए विशेषज्ञ के रूप विद्वान या कोई भी कार्य प्रोत्साहन जो सदस्यता को भंग एवं पूर्ण रूपेण बाधक हो या अंशत एवं आश्रित, राज्य का संप्रभुत्व का क्षेत्रीय एकता या राजनीतिक एकता में बाधक हो ।

2. वर्तमान में घोषणा पत्र के अधिकारों के स्पष्टता पूर्वक पालन करते हुए मानवीय अधिकारों एवं सभी प्रकार के मूल स्वतंत्रता आदरणीय होंगी । जो कुछ भी इस घोषणा पत्र के अनुसरण करने के अधिकार हैं, वे एक सीमा पर आधारित हैं, जो कानून द्वारा निहित है और अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों के बाध्यता द्वारा निहित हैं । वैसे सीमाएँ अनदेखी नहीं की जाएगी एवं उनके मान्यताओं के उददेश्य की सुरक्षित रखने में पूरा कठोर आवश्सता पड़े ।

अधिकारों की मान्यता, दूसरों के स्वतंत्रता, न्याय, बन्धुत्व के साथ मैत्री एवं अत्याधिक उत्प्रेरित प्रजातान्त्रिक समाज की आवश्यकताओं का पालन हो ।

3. जो प्रावधानें इस घोषणा पत्र में रखी गई हैं, वे व्याख्या व अर्थ में लायी जाएगीं, जिनको न्याय के सिद्धान्तों पर, लोकतंत्र के सिद्धान्त पर, मान्यता व प्रतिष्ठा के सिद्धान्त पर, मानवीय अधिकारें के लिए

लाया जाए जिसमें बराबरी, समानता, आजादी, गैर भेदभाव की भावना, अच्छा प्रशासन व सरकार एवं अच्छी विश्वनीयता हो ।

....

अनुवादक का परिचय

Name : **Dr. Carlus Toppo**

Birth : 06-06-1961

Village Unidih

P.O. Raja Ulatu

P/S Namkum,

Ranchi – 834 010

Jharkhand , India.

Education: St. Joseph School Raja Ulhatu,

I.Com. Gosner College, Ranchi,

B.A. Karnataka,

B.Ed. (St. Xavier's College, Calcutta)

PG English (Double) (IGNOU), Sociology (IGNOU)

MEd. (IGNOU)

MPhil. (Ranchi University)

PHD. (Ranchi University)

Typing in English from Loyola Institute, Ranchi

Commerce: Typing (English) : Mangalore.

Secretarial Course: Holy Cross, Lucknow.

Stonography (English): Lucknow.

Faculty : Department of Education (Radha Govind University, Ramgarh)

Interest: Teaching in Academic Fields for the Higher Sections.

English Professor in M.Ed. B.Ed. & D.El.Ed. Ramgarh

Councellor in IGNOU for PG Sociology, Marwari College (Women Block)

Councellor in IGNOU for EDUCATION

Social Worker, Voice for Tribals, Voice for Oppressed People,

Reading Books after Books (Hobby).

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People

The General Assembly

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and good faith in the fulfilment of the obligations assumed by **States** in accordance with the **Charter,**

Affirming that indigenous people are equal to all other people, while recognizing the right of all people to be different, to consider themselves different, and to be respected as such,

Affirming also that all people contribute to the diversity and richness of civilizations and cultures, which constitute the common heritage of humankind,

Affirming further that all doctrines, policies and practices based on or advocating superiority of people or individuals on the basis of national origin, racial, religious, ethnic or cultural differences are racist, scientifically false, legally invalid, morally condemnable and socially unjust,

Reaffirming also that indigenous people, in the exercise of their rights, should be free from discrimination of any kind,

Concerned that indigenous people have suffered from historic injustices as a result of, inter alia, their colonization and dispossession of their lands, territories and resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to development in accordance with their own needs and interests,

Recognizing the urgent need to respect and promote the inherent rights of indigenous people which derive from their political, economic and social structures and from their cultures, spiritual traditions, histories and philosophies, especially their rights to their lands, territories and resources,

Further recognizing the urgent need to respect and promote the rights of indigenous people affirmed in treaties, agreements and other constructive arrangements with States,

Welcoming the fact that indigenous people are organizing themselves for political, economic, social and cultural enhancement and in order to bring an end to all forms of discrimination and oppression wherever they occur,

Convinced that control by indigenous people over developments affecting them and their lands, territories and resources will enable them to maintain and strengthen their institutions, cultures and traditions, and to promote their development in accordance with their aspirations and needs,

Recognizing also that respect for indigenous knowledge, cultures and traditional practices contributes to sustainable and equitable development and proper management of the environment,

Emphasizing the contribution of the demilitarization of the lands and territories of indigenous people to peace, economic and social progress and development, understanding and friendly relations among nations and people of the world,

Recognizing in particular the right of indigenous families and communities to retain shared responsibility for the upbringing, training, education and well-being of their children, consistent with the rights of the child,

Considering that the rights affirmed in treaties, agreements and constructive arrangements between States and indigenous people are, in some situations, matters of international concern, interest, responsibility and character,

Considering also that treaties, agreements and other constructive arrangements, and the relationship they represent, are the basis for a strengthened partnership between indigenous people and States,

Acknowledging that the **Charter of the United Nations**, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the **Vienna Declaration** and Programme of Action, affirm the fundamental importance of the right of self-determination of all people, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development,

Bearing in mind that nothing in this Declaration may be used to deny any people their right of self-determination, exercised in conformity with international law,

Convinced that the recognition of the rights of indigenous people in this Declaration will enhance harmonious and cooperative relations between the State and indigenous people, based on principles of justice, democracy, respect for human rights, non-discrimination and good faith,

Encouraging States to comply with and effectively implement all their obligations as they apply to indigenous people under international instruments, in particular those related to human rights, in consultation and cooperation with the people concerned,

Emphasizing that the United Nations has an important and continuing role to play in promoting and protecting the rights of indigenous people.

Believing that this Declaration is a further important step forward for the recognition, promotion and protection of the rights and freedoms of indigenous people and in the development of relevant activities of the United Nations system in this field,

Recognizing and reaffirming that indigenous individuals are entitled without discrimination to all human rights recognized in international law, and that indigenous people possess collective rights which are indispensable for their existence, well-being and integral development as people.

Recognizing also that the situation of indigenous people varies from region to region and from country to country and that the significance of national and regional particularities and various historical and cultural backgrounds should be taken into consideration,

Solemnly proclaims the following United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People as a standard of achievement to be pursued in a spirit of partnership and mutual respect,

Article 1

Indigenous people have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and international human rights law.

Article 2

Indigenous people and individuals are free and equal to all other people and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity.

Article 3

Indigenous people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

Article 4

Indigenous people, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.

Article 5

Indigenous people have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their rights to participate fully, if they so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State.

Article 6

Every indigenous individual has the right to a nationality.

Article 7

1. Indigenous individuals have the rights to life, physical and mental integrity, liberty and security of person.

2. Indigenous people have the collective right to live in freedom, peace and security as distinct people and shall not be subjected to any act of genocide or any other act of violence, including forcibly removing children of the group to another group.

Article 8

1. Indigenous people and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.

2. States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for:

a. Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;
b. Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources;
c. Any form of forced population transfer which has the aim or effect of violating or undermining any of their rights;
d. Any form of forced assimilation or integration;
e. Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic discrimination directed against them.

Article 9

Indigenous people and individuals have the right to belong to an indigenous community or nation, in accordance with the traditions and customs of the community or nation concerned. No discrimination of any kind may arise from the exercise of such a right.

Article 10

Indigenous people shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous people concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.

Article 11

1. Indigenous people have the right to practice and revitalize their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as archaeological and historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature.

2. States shall provide redress through effective mechanisms, which may include restitution, developed in conjunction with indigenous people, with respect to their cultural, intellectual, religious and spiritual property taken without their free, prior and informed consent or in violation of their laws, traditions and customs.

Article 12

1. Indigenous people have the right to manifest, practice, develop and teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural sites; the right to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the repatriation of their human remains.

2. States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, transparent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous people concerned.

Article 13

1. Indigenous people have the right to revitalize, use, develop and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and literatures, and to designate and retain their own names for communities, places and persons.

2. States shall take effective measures to ensure this right is protected and also to ensure that indigenous people can understand and be understood in political, legal and administrative proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other appropriate means.

Article 14

1. Indigenous people have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning.

2. Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels and forms of education of the State without discrimination.

3. States shall, in conjunction with indigenous people, take effective measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language.

Article 15

1. Indigenous people have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information.

2. States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the indigenous people concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous people and all other segments of society.

Article 16

1. Indigenous people have the right to establish their own media in their own languages and to have access to all forms of non-indigenous media without discrimination.

2. States shall take effective measures to ensure that State-owned media duly reflect indigenous cultural diversity. States, without prejudice to ensuring full freedom of expression, should encourage privately-owned media to adequately reflect indigenous cultural diversity.

Article 17

1. Indigenous individuals and people have the right to enjoy fully all rights established under applicable international and domestic labour law.

2. States shall in consultation and cooperation with indigenous people take specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability and the importance of education for their empowerment.

3. Indigenous individuals have the right not to be subjected to any discriminatory conditions of labour and, inter alia, employment or salary.

Article 18

Indigenous people have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.

Article 19

States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.

Article 20

1. Indigenous people have the right to maintain and develop their political, economic and social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of subsistence and development, and to engage freely in all their traditional and other economic activities.

2. Indigenous people deprived of their means of subsistence and development are entitled to just and fair redress.

Article 21

1. Indigenous people have the right, without discrimination, to the improvement of their economic and social conditions, including, inter alia, in the areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, sanitation, health and social security.

2. States shall take effective measures and, where appropriate, special measures to ensure continuing improvement of their economic and social conditions. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities.

Article 22

1. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities in the implementation of this Declaration.

2. States shall take measures, in conjunction with indigenous people, to ensure that indigenous women and children enjoy the full protection and guarantees against all forms of violence and discrimination.

Article 23

Indigenous people have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development. In particular, indigenous people have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions.

Article 24

1. Indigenous people have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health services.

2. Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view to achieving progressively the full realization of this right.

Article 25

Indigenous people have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.

Article 26

1. Indigenous people have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired.

2. Indigenous people have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired.

3. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned.

Article 27

States shall establish and implement, in conjunction with indigenous people concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous people's laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous people pertaining to their lands, territories and resources, including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous people shall have the right to participate in this process.

Article 28

1. Indigenous people have the right to redress, by means that can include restitution or, when this is not possible, of a just, fair and equitable compensation, for the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent.

2. Unless otherwise freely agreed upon by the people concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status or of monetary compensation or other appropriate redress.

Article 29

1. Indigenous people have the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources. States shall establish and implement assistance programmes for indigenous people for such conservation and protection, without discrimination.

2. States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous people without their free, prior and informed consent.

3. States shall also take effective measures to ensure, as needed, that programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous people, as developed and implemented by the people affected by such materials, are duly implemented.

Article 30

1. Military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous people, unless justified by a relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous people concerned.

2. States shall undertake effective consultations with the indigenous people concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, prior to using their lands or territories for military activities.

Article 31

1. Indigenous people have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.

2. In conjunction with indigenous people, States shall take effective measures to recognize and protect the exercise of these rights.

Article 32

1. Indigenous people have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources.

2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous people concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources.

3. States shall provide effective mechanisms for just and fair redress for any such activities, and appropriate measures shall be taken to mitigate adverse environmental, economic, social, cultural or spiritual impact.

Article 33

1. Indigenous people have the right to determine their own identity or membership in accordance with their customs and traditions. This does not impair the right of indigenous individuals to obtain citizenship of the States in which they live.

2. Indigenous people have the right to determine the structures and to select the membership of their institutions in accordance with their own procedures.

Article 34

Indigenous people have the right to promote, develop and maintain their institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices and, in the cases where they exist, juridical systems or customs, in accordance with international human rights standards.

Article 35

Indigenous people have the right to determine the responsibilities of individuals to their communities.

Article 36

1. Indigenous people, in particular those divided by international borders, have the right to maintain and develop contacts, relations and cooperation, including activities for spiritual, cultural, political, economic and social purposes, with their own members as well as other people across borders.

2. States, in consultation and cooperation with indigenous people, shall take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of this right.

Article 37

1. Indigenous people have the right to the recognition, observance and enforcement of Treaties, Agreements and Other Constructive Arrangements concluded with States or their successors and to have States honour and respect such Treaties, Agreements and other Constructive Arrangements.

2. Nothing in this Declaration may be interpreted as to diminish or eliminate the rights of Indigenous People contained in Treaties, Agreements and Constructive Arrangements.

Article 38

States in consultation and cooperation with indigenous people, shall take the appropriate measures, including legislative measures, to achieve the ends of this Declaration.

Article 39

Indigenous people have the right to have access to financial and technical assistance from States and through international cooperation, for the enjoyment of the rights contained in this Declaration.

Article 40

Indigenous people have the right to have access to and prompt decision through just and fair procedures for the resolution of conflicts and disputes with States or other parties, as well as to effective remedies for all infringements of their individual and collective rights. Such a decision shall give due consideration to the customs, traditions, rules and legal systems of the indigenous people concerned and international human rights.

Article 41

The organs and specialized agencies of the United Nations system and other intergovernmental organizations shall contribute to the full realization of the provisions of this Declaration through the mobilization, inter alia, of financial cooperation and technical assistance. Ways and means of ensuring participation of indigenous people on issues affecting them shall be established.

Article 42

The United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous Issues, and specialized agencies, including at the country level, and States, shall promote respect for and full application of the provisions of this Declaration and follow up the effectiveness of this Declaration.

Article 43

The rights recognized herein constitute the minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous people of the world.

Article 44

All the rights and freedoms recognized herein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.

Article 45

Nothing in this Declaration may be construed as diminishing or extinguishing the rights indigenous people have now or may acquire in the future.

Article 46

1. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, people, group or person any right to engage in any activity or to perform any act contrary to the Charter of the United Nations or construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States.

2. In the exercise of the rights enunciated in the present Declaration, human rights and fundamental freedoms of all shall be respected. The exercise of the rights set forth in this Declaration shall be subject only to such limitations as are determined by law, and in accordance with international human rights obligations. Any such limitations shall be non-discriminatory and strictly necessary solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and for meeting the just and most compelling requirements of a democratic society.

3. The provisions set forth in this Declaration shall be interpreted in accordance with the principles of justice, democracy, respect for human rights, equality, non-discrimination, good governance and good faith.

Conclusion

The Declaration made by the United Nation became a standard for the measurement of the protection of indigenous rights under the national and international framework. It calls for constructive arrangement to promote the rights of indigenous people, to end oppression and all forms of discrimination. It also grants rights to maintain their social, economic and cultural rights. The **Scheduled Tribe** have been given special protection under the Constitution of India which has much association with the historical reality. When it comes to the protection of the Tribes and their land right, it has been given great emphasis in Indian law, as it plays an important role for the survival and maintaining their distinct identity.

We hope that in the coming years, this occasion will be celebrated in a much grander style by the **Tribes Natives** around India and the world.

Johar!

____